

## प्रारूप-18

### कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.5225 हे० आरक्षित/सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है, कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु 0.8925 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.6300 हे० सिविल स्वयं व नाप भूमि 0.6125 हे० में प्रस्तावित मोटर पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.  
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी

  
अधिसासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.  
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
उत्तरकाशी वन विभाग  
उत्तरकाशी

  
वन क्षेत्राधिकारी  
धरासू वन राजि  
उत्तरकाशी वन प्रभाग